भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1574
दिनांक 10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

किडनी रोग से ग्रस्त मरीज

1574. श्री प्रिंस राज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्यम वर्ग/निम्न मध्यम वर्ग के किडनी रोग से ग्रस्त मरीज, जो डायलिसिस पर हैं, की सहायता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कम से कम अनुमंडलीय अस्पताल स्तर पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ग) बिहार के समस्तीपुर और दरभंगा जिले में वर्तमान में कितने डायलिसिस केंद्र संचालित हो रहे हैं;

(घ) क्या सरकार किडनी-प्रत्यारोपण के रोगियों के लिए उचित मूल्य पर दवाओं के लिए विचार कर रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख); स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार ने 2016-17 में प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) शुरू किया, जिसमें सभी बीपीएल रोगियों के लिए देश के जिला अस्पतालों में मुफ्त हेमोडायलिसिस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। पीएमएनडीपी के तहत, पेरिटोनियल डायलिसिस 2019 में शुरू किया गया था। 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, कुल 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 641 जिलों के 1350 केंद्रों में 8871 हेमो-

पेरिटोनियल डायलिसिस लगाकर पीएमएनडीसी को क्रियान्वित किया गया है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल 17.27 लाख रोगियों ने डायलिसिस सेवाओं का लाभ उठाया और 188.57 लाख हेमोडायलिसिस सत्र आयोजित किए गए। भारत सरकार डायलिसिस सेवाओं को सुलभ और समुदाय के करीब बनाने के लिए पीएमएनडीपी के तहत एक डायलिसिस केंद्र के साथ राज्यों के 100% जिलों को कवर करने के लिए प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के माध्यम से पीएमएनडीपी के अंतर्गत हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों सेवाओं के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

(ग) बिहार में समस्तीपुर और दरभंगा दोनों जिलों में एक डायलिसिस केन्द्र है, जो एनएचएम के अंतर्गत सहायता प्राप्त है।

(घ) और (ङ); डायलिसिस रोगियों के लिए आवश्यक औषधियां एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार द्वारा समर्थित राष्ट्रीय नि: शुल्क औषधि सेवा पहल के तहत जिला अस्पतालों में सभी लाभार्थियों को मुफ्त में उपलब्ध हैं। एमओएचएफडब्ल्यू आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची (एनईएलएम) को अधिसूचित करता है जिसे औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ 2013) की अनुसूची -1 के रूप में शामिल किया गया है। तदनुसार, औषधि विभाग ने 11.11.2022 को एनईएलएम 2022 के आधार पर डीपीसीओ 2013 की संशोधित अनुसूची-1 को अधिसूचित किया है, जिसने एनईएलएम 2015 को प्रतिस्थापित किया है। औषधि विभाग के अधीन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) डीपीसीओ 2013 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित औषधियों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। अनुसूचित दवाओं के सभी विनिर्माताओं को एनपीपीए द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य (लागू वस्तु एवं सेवा कर जोडकर) के भीतर अपने उत्पाद बेचने होते हैं। अनुसूची -1 के तहत फॉर्मूलेशन का उल्लेख उनकी चिकित्सीय श्रेणी के अनुसार किया गया है। किडनी प्रत्यारोपण दवाओं के लिए कोई अलग चिकित्सीय श्रेणी नहीं है।

*****